<u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कमांक-492 / 2013 संस्थित दिनांक-17.06.2013 फाईलिंग क.234503002462013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,

जिला–बालाघाट (म.प्र.)

- <u>अभियोजन</u>

ै/ / <u>विरूद</u> / /

लखनसिंह पिता फत्तेसिंह मरकाम, उम्र—45 वर्ष, निवासी—ग्राम नयाटोला बोरखेड़ा, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — —

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-21/06/2017 को घोषित)</u>

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—02.06.2013 को समय रात करीब 10:00 बजे ग्राम नयाटोला बोरखेड़ा, थाना बिरसा अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी माखनिसंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर, आहत माखनिसंह को लकड़ी तथा हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित कर, फरियादी माखनिसंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी माखनसिंह मरकाम ने दिनांक—03.06.2013 को पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक—02.06.2013 को रात्रि 10:00 बजे फरियादी उसके पड़ोसी राजेन्द्र के घर के सामने आंगन में बैठा था, तभी फरियादी का बड़ा भाई लखनसिंह मरकाम आया था और फरियादी से बोला था कि वह पहले ब्याहता के बच्चों की माँ लिलताबाई की लड़कियां शारदाबाई, गायत्रीबाई को उसके घर पर आकर रूपये क्यों दे रहा था, तब फरियादी बोला कि उसके बच्चे हैं, वह उनसे मिलने आता है। लखनसिंह ने फरियादी से कहा कि दूसरी पत्नी बना लिया है, बच्चों

की परविरश नहीं कर सकता। लखनिसंह, फिरयादी को मॉ—बहन चोदू की गंदी गालियां देने लगा था। फिरयादी के मना करने पर लखनिसंह ने हाथ में रखी लकड़ी से फिरयादी की पीठ पर तथा हाथ—मुक्कें से सीने पर मारा था। राजेन्द्र मरकाम तथा रामबतीबाई ने बीच—बचाव किये थे तब लखनिसंह भागते समय फिरयादी को जान से खत्म कर देने की धमकी दे रहा था। पुलिस थाना बिरसा ने फिरयादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फिरयादी की रिपोर्ट पर से अपराध कमांक—67/2013 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

- 4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया था। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:—

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—02.06.2013 को समय रात करीब 10:00 बजे ग्राम नयाटोला बोरखेड़ा, थाना बिरसा अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी माखनसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया था ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत माखनसिंह को लकड़ी तथा हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी माखनिसंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया था?

-: विवेचना एवं निष्कर्ष :-

- 7— प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस कारण उक्त सभी विचारणीय बिदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- फरियादी माखनसिंह(अ.सा.०५) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना न्यायालयीन कथनों से तीन वर्ष पूर्व की राजेन्द्र के मकान के सामने की है। उक्त साक्षी उसके बच्चों को पैसे देने गया था तभी पीछे से अभियुक्त लखनसिंह आया था। फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट की थी। जिससे फरियादी को चोट आयी थी जिससे वह बेहोश हो गया था। फरियादी ने घटना के संबंध में थाना बिरसा में रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी जो प्र.पी.05 है। फरियादी ने उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बिरसा में कराया था। इसके उपरांत उसे एक्सरे के लिए बालाघाट रिफर किया गया था। पुलिस घटनास्थल पर आयी थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.06 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 02.06.2013 की है। घटना के समय वह उसके पड़ोसी राजेन्द्र मरकाम के मकान के सामने खड़ा था इतने में लखनसिंह आया था और बोला था कि उसकी पहली पत्नि ललिताबाई के बच्चे गायत्रीबाई, शारदाबाई को रूपये क्यों देता है। साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त से मना करने पर अभियुक्त ने गंदी-गंदी गालियां दी थी जो साक्षी को सुनने में बुरी लगी थीं। साक्षी ने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसे जाते समय जान से मारने की धमकी देकर यह कहा था कि दोबारा पैसे देने आयेगा तो वह फरियादी को जान से खत्म कर देगा। फरियादी का बीच-बचाव राजेन्द्रसिंह ने किया था।
- 9— राजेन्द्रसिंह (अ.सा.02) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। फरियादी एवं अभियुक्त आपस में भाई हैं। घटना न्यायालयीन कथनों से एक वर्ष पूर्व रात्रि के समय की साक्षी के घर की है। घटना दिनांक को फरियादी माखनसिंह शराब पिया हुआ था और उसके बच्चों को डांट रहा था। इस कारण

उसके बच्चे उक्त साक्षी के घर आ गये थे। माखनिसंह के बच्चों का अभियुक्त बड़ा पिता लगता है। बच्चों के कहने पर इस साक्षी ने अभियुक्त को फोन लगाया था। इसके उपरांत अभियुक्त आया था। अभियुक्त ने माखनिसंह को समझाया था। इस साक्षी के सामने कोई घटना नहीं हुई थी। पुलिस ने साक्षी के बयानिलये थे। इस साक्षी के समाने जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी एवं अभियुक्त को गिरफतार नहीं किया गया था। जप्ती पंचनामा प्र.पी.02 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.03 पर इस साक्षी के कमशः ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। आहत माखनिसंह दीवाल पर लात मार रहा था तो पीठ के बल गिर गया था, इस कारण उसे चोट आयी थी। अभियुक्त ने फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। राजेन्द्रसिंह ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

10— रामबतीबाई (अ.सा.०4) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना न्यायालयीन कथनो से दो वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को अभियुक्त एवं फरियादी का विवाद हुआ था एवं दोनों की मारपीट हुई थी। लेकिन इस साक्षी ने मारपीट करते हुए नहीं देखी थी। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष इस साक्षी के पित माखनिसंह के साथ मारपीट नहीं की थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके पित माखनिसंह ने पहली पित्न के बच्चों को घर से भगा दिया है। उन बच्चों का पालन—पोषण अभियुक्त कर रहा है। रामबतीबाई अ.सा.०४ की साक्ष्य से प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं होता है।

11— छतरसिंह (अ.सा.०६) का कथन है कि घटना न्यायालयीन कथनो से दो—तीन वर्ष पूर्व की ग्राम बोरीखेड़ा की है। साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखी थी। साक्षी को माखनसिंह ने बताया था कि अभियुक्त ने बांस की लकड़ी से मारपीट की थी। साक्षी को गालियां देने व जान से मारने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने साक्षी के कथन नहीं लिये थे। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। इस साक्षी की साक्ष्य से भी घटना का समर्थन नहीं होता है।

एम.मेश्राम (अ.सा.०1) का कथन है कि वह दिनांक 03.06.2013 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बिरसा में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। तब उक्त दिनांक को थाना बिरसा से सैनिक दलपतसिंह क्रमांक-304 आहत माखनसिंह को मेडीकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत के मेडीकल परीक्षण में निम्न उपहतियां पायी थीं– चोट कं01 पीठ के बाये बक्खे के मध्य भाग से दाहिनी पीठ तक एक रेल के पातों की समानता जैसी सूजन मौजूद थी। जिसका आकार साढ़े सात इंच गुणा एक इंच का था। चोट कं02 छाती के दाहिने भाग पर एक कंटीयूजन जिसका आकार दो इंच गुणा ढ़ेड इंच था। चिकित्सक के मत में चोट क01 किसी कड़ी व पतले आकार की वस्तु के प्रहार द्वारा दर्शित होती थी। चोट कं02 किसी कड़ी व बोथरी वस्तु द्वारा आना दर्शित होती थी। चोट कं02 में दाहिने छाती की दूसरी पसली के टूटने की संभावना को देखते हुए आहत को अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया था। आहत की उक्त सभी चोटें परीक्षण के समय 12 से 18 घण्टे के पूर्व की थी। चिकित्सक की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि यदि कोई असंत्लित होकर जमीन पर गिर जाये तो चोट कं02 के जैसी चोट आ सकती है। चिकित्सक ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि चोट क01 असंतुलित होकर जमीन पर खुरदुरी और बोथरी जगह पर गिरने से आ सकती थीं। चिकित्सक ने सुझाव में यह भी अस्वीकार किया है कि दोनों चोटें स्वयं के द्वारा कारित की जा सकती थीं।

13— मिश्रीलाल बिसेन (अ.सा.03) का कहना है कि वह दिनांक 03.06.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। इस साक्षी के साथ थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया भी पदस्थ थे। राजेश सनोडिया ने

माखनसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध आपराध क्रमांक 67/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर राजेश सनोडिया के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने राजेश सनोडिया के साथ रहकर कार्य किया है इस कारण यह साक्षी राजेश सनोडिया के हस्ताक्षरों को जानता है। इस साक्षी को प्रकरण की केस डयरी प्राप्त होने पर इस साक्षी ने फरियादी माखनसिंह की निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.06 तैयार किया था। फरियादी माखनसिंह एवं साक्षीगण रामबतीबाई, राजेन्द्र मरकाम, छतरसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त से दिनांक 04.06.2013 को साक्षीगण के समक्ष एक बांस की लकड़ी प्र.पी.02 के जप्ती पंचनामा के अनुसार जप्त कर अभियुक्त को प्र.पी.03 के गिरफतारी पंचनामा के अनुसार गिरफतार किया गया था। परंतु प्र.पी.03 एवं प्र.पी.03 के स्वतंत्र साक्षी राजेन्द्र मरकाम अ.सा.02 एवं सुखदेव अ.सा.07 ने अभियुक्त से किसी प्रकार की जप्ती की कार्यवाही होने से इंकार किया है एवं अभियुक्त की गिरफतारी कार्यवाही से भी इंकार किया है।

14— प्रकरण में फरियादी माखनिसंह को अभियुक्त द्वारा अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में फरियादी माखनिसंह ने उसकी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये है। प्रकरण के साक्षी राजेन्द्र मरकाम अ.सा.02, रामबतीबाई अ.सा.04, छतरिसंह अ.सा.06 ने भी उनकी साक्ष्य में इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। भा.दं.सं. की धारा—294 के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर लोक स्थान पर फरियादी माखनिसंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था।

15— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में माखनिसंह अ.सा.05 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे घटना के समय जाते समय जान से मारने की धमकी दी थी एवं अभियुक्त ने फरियादी से यह भी कहा था कि दोबारा पैसे देने आया तो फरियादी को जान से खत्म कर देगा। फरियादी की इस साक्ष्य का समर्थन फरियादी की पितन रामबतीबाई अ.सा.04 एवं स्वतंत्र

साक्षी राजेन्द्र मरकाम अ.सा.02, छतरिसंह अ.सा.06 ने समर्थन नहीं किया है। फिरयादी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देने से वह अत्यंत भयभीत हो गया था यहां संश्रास कारित करने के आशय को स्थापित करना होता है। मात्र भयोपरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देने से आपराधिक अभित्रास का गठन नहीं होता है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

16— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादी माखनिसंह के साथ मारपीट किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में फरियादी माखनिसंह ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि उसके साथ अभियुक्त ने लकड़ी से मारपीट की थी। माखनिसंह द्वारा लिखायी गयी प्र.पी.05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि अभियुक्त ने लकड़ी से पीठ पर तथा हाथ मुक्के से सीने पर मारा था। माखनिसंह ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि अभियुक्त द्वारा लकड़ी से मारपीट करने के कारण उसे पीठ पर चोट आयी थी एवं हाथ मुक्के से मारपीट करने से सीने पर चोट आयी थी। माखनिसंह की साक्ष्य एवं प्र.पी.05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में माखनिसंह के शरीर के किस स्थान पर मारपीट में चोट आयी थी इस संबंध में विरोधाभास है। चिकित्सक ने उनकी साक्ष्य में माखनिसंह को पीठ के बायें और बक्खे के मध्य भाग से दाहिनी पीठ तक एवं छाती के दाहिने भाग पर मेडीकल परीक्षण के समय उपहित आना बताया है। परंतु माखनिसंह ने उसकी साक्ष्य में पीठ के बायीं ओर बक्खे के मध्य भाग से दाहिने पीठ तक एवं छाती के दाहिने भाग पर उपहित आने के बारे में नहीं बताया है। चिकित्सक की साक्ष्य, फरियादी की उपहितयों के संबंध में फरियादी की साक्ष्य से समर्थित नहीं है।

17— प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजेन्द्र की साक्ष्य के अनुसार माखनिसंह दीवाल पर लात मार रहा था और पीठ के बल गिर गया था इस कारण उसे चोट आयी थी। इस साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा माखनिसंह के साथ मारपीट किये जाने से इंकार किया है। यहां तक रामबतीबाई अ.सा.04 जो फरियादी माखनिसंह की पिल है उसने भी यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके

पति माखनसिंह के साथ मारपीट नहीं की थी। छतरसिंह (अ.सा.०६) ने भी उसकी साक्ष्य में माखनसिंह के साथ हुई मारपीट का समर्थन नहीं किया है। राजेन्द्र की साक्ष्य के अनुसार घटना दिनांक को फरियादी शराब पिये हुआ था। संभवतः हो सकता है कि शराब पीकर फरियादी खुद ही कहीं गिरा हो क्योंकि यदि अभियुक्त फरियादी के साथ मारपीट करता तो फरियादी की पत्नि अवश्य ही माखनसिंह के साथ हुई मारपीट के बारे में बताती। लेकिन माखनसिंह की पत्नि ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त के द्वारा माखनसिंह के साथ मारपीट होने से इंकार किया है। माखनसिंह की स्वयं की साक्ष्य और प्र.पी.05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके शरीर पर आयी चोटों के बारे में विरोधाभास है। माखनसिंह स्वयं ने यह बताया है कि प्र.पी.06 का मौकानक्शा थाने वालों ने थाने में बैठकर ही बनाया था एवं उसने थाने में बैठकर ही हस्ताक्षर किये थे। ऐसी स्थिति में मौकानक्शा संदिग्ध दर्शित होता है। घटना दिनांक 02.06.2013 की है। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2013 को 10:20 बजे थाना बिरसा में लिखायी थी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट भी देरी से लिखायी थी। माखनसिंह ने उसकी साक्ष्य में यह भी स्वीकार है किया है कि उसकी अभियुक्त से जमीन के विवाद के ऊपर से रंजिश है। माखनसिंह ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करने के कारण वह बेहोश हो गया था। प्र.पी.05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि अभियुक्त द्वारा मारपीट करने के कारण माखनसिंह बेहोश हो गया था। माखनसिंह के बेहोश होने के संबंध में माखनसिंह की साक्ष्य एवं प्र.पी.05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में विरोधाभास है। माखनसिंह ने प्रकरण में उसकी साक्ष्य में अभियुक्त को फंसाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कथन किये हैं। प्रकरण की उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है। संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी माखनसिंह के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

18— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध

युक्तियुक्त संदेह से परे भा.दं.सं. की धारा—294, 323, 506 भाग—2 के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए भा.दं.सं. की धारा—294, 323, 506 भाग—2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में धारा—428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

21—. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट